



College Code 517

संस्था द्वे

निदेशक / प्राधार्य,

KIPM College of management,Gorakhpur
PLOT NO. BL-1 & 2 SECTOR 9 GIDA GORAKHPUR

विषय शालिक सत्र 2018-19 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महादय / महादया,

लघुर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अधिल भारतीय लकड़ीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2018-19 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी साम्बद्धता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विद्यारोपणात्मकी की गई संस्थानीयों एवं इन संस्थानीयों के क्रम में निर्भर शासनादेश सख्ता 2012 / शोलह-१-२०१८-१३(१) / २०१८ दिनांक 15.05.2018 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवासीत उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(२) की अधीन मात्रा कार्यपादिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थी के प्रत्याशा में संस्थान को नियमनुसार शाल्यक्रम प्रदेश क्षमता के साथ,

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTEApprovedIntake	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
MBA	MBA	Shift I		120	120	0

उल्लिखित विषय योजना को अन्तर्गत शालिक सत्र 2018-19 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष रौप्यकृति प्रदान की जाती है। उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता नियमनिवित शासनों के अधीन है-

1. संस्थान द्वारा अधिल भारतीय लकड़ीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विद्यार्थीदालय द्वारा निर्धारित भूमि भद्रन, अवस्थान सुविधाएं पाठ्यक्रम से हेतु नियमनिवित पठन-पाठन/पाठ्यवर्चयी प्रयोगशाला हेतु नियमनिवित उपकरण फैकल्टी अनुपात, रिपोर्ट नियमनिवित उपकरण में दशायी गई कनियाएँ/मानकों को पूर्ण करना अविद्यायी होना अस्थायी की विधिति में संस्था को प्रदल अस्थाई सम्बद्धता रखत नियमनिवित समझौता जावेगी, जिसका सम्बूद्ध संतरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धनात्मक द्वारा होगा।

2. नियमनिवित मण्डल द्वारा अवस्थायान् सुविधाओं एवं सायायोजित शिक्षकों के संतायापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का अधिट भी विश्वविद्यालय द्वारा जिसी भी सम्मद किया जा सकता है।

3. दी जानी / दूसरी दी आर्क / एम.आर्क. / पाठ्यक्रम संवालित करने दाले संस्थानों को कार्मिकी काडरिल आफ इंडिया एवं काउसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संवालित हेतु नियमनिवित मानकों की पूर्ति एवं संवयित काऊसिल से सत्र विशेष हेतु अनुपात भी पाप किया जाना अविद्यायी होना। संस्थान द्वारा नियमनिवित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अमाताशिप एवं फैसी आईं / सी.ओ.ए. (प्रश्ना लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रदेश क्षमता से अधिक प्रदेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदल अस्थाई सम्बद्धता रखत नियमनिवित समझौते जाएंगी, जिसका संभूद्ध उत्तरदायित्व स्वयं स्थान / प्रबन्धनात्मक द्वारा होगा।

4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन / डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश / शुल्क के सम्बन्ध में सम्पर्य-सम्पर्य पर जारी किये गये दिल्ली-नियमनिवित करना तथा शुल्क नियमनिवित प्रयोगशाला विश्वविद्यालय द्वारा नियमनिवित अनुमन्य फैस दी विश्वायी तथा संस्थान विश्वविद्यालय सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समग्र भरी गयी रूपानांगों / विवरण तथा सम्बद्धता रखती शुल्क दी जाना करने तथा सीटों की संख्या में जिसी भी प्रकार की क्रूटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदल अस्थाई सम्बद्धता रखत नियमनिवित समझौते जाएंगी।

6. विश्वविद्यालय में प्रदातित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय 6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिक विश्वविद्यालय का वाल्ग रायथा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अस्थायी की विधिति में सम्बद्धता सम्पत करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान ०१ अप्रैल 2018 के पूर्व नियमनिवित संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रोश क्षमता के संपर्क नियमनिवित रायथा के संपर्क अपेक्षित संस्था में नियमनिवित अहला धारक विकास एवं निदेशक / प्राधार्य की नियुक्ति पूर्ण भर देंगा। साथ ही इन विकासों की सूची तथा व्यवहार से सम्बन्धित समस्त अनिवार्य विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय को नोटराइज़ेड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमनिवित अपेक्षित संस्था में विकासों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र संस्थान में कोई क्रूटि, कुट्टरघना, / विसंगति पाई जाती है तो संस्थान को प्रदल अस्थायी सम्बद्धता स्वतः नियमनिवित संस्था में विकासों की नियुक्ति कर ली गई होगी।

8. उत्तर प्रदेश हान के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राधार्य के पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक विधि से तीन-माह के अन्दर रिक्त। यदि पर भवन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कारब्ये। (दिनियम: ६.१५)

9. सत्र 2018-19 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की सिविलित अनुमति के, सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।

10. सत्र प्रारम्भ हान के प्रश्नात संस्था में कायारत विकासों द्वारा संस्था छोड़ने की विधिति में १५ दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय के

